



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, लोराण्डा, राँची

E-mail :- addlpcfdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : ०१ / यो०बजट-४९सी० / २०१५— ५९४ दिनांक —०५.०५.२०१७

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा / सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार / सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा / सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका / सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर, जमशेदपुर।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2021-22 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय घर्ष) के लिए कुल रु० 18.749 लाख (अठारह लाख चोहत्तर हजार नौ सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या ४/यो०बजट-५३/२०१५-३३/सी० व०प० दिनांक-२४.०४.२०१५ एवं वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या ०४/यो०बजट-५३/२०१५-३३/आ० व०प० दिनांक ०६.०४.२०१७।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी एवं कन्थ प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-०१ वानिकी, लघु शीर्ष- ७९६ जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-५८-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंध के अंतर्गत आवंटित राशि से कुल रु० 18.749 लाख (अठारह लाख चोहत्तर हजार नौ सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796580103	15.432
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796580323	3.317
कुल :-		18.749

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-१ पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को समस्य भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-२ तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-३ पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या- पी० 19S240601796580103 तथा पी० 19S240601796580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय आरखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत सुसंगत दिशा—निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. बन प्रमण्डलों द्वारा “स्थल विशेष प्राक्कलन” श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 की निर्धारित स्थूनतम भजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर बन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम बन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी जिसकी प्रमाणलवार समेकित प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य बन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित किया जाएगा।

नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य बन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह बन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य बन संरक्षक / बन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथ एतद् संबंधी पत्र—परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेदारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी था विभाग को तुरंत देंगे।

9. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी। वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का औंकड़ा धर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्यथन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान अम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0बजट-49सी0 / 2015— 594 दिनांक— 08.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू हजारीबाग/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0बजट-49सी0 / 2015— 594 दिनांक— 08.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, सिमडेगा/कोषागार पदाधिकारी, लातेहार/ कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा/ कोषागार पदाधिकारी, दुमका/ कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0बजट-49सी0 / 2015— 594 दिनांक— 08.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची/उप वन संरक्षक, योजना, जनजातीय क्षेत्र, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं बनरोपण योजना) (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत गैर-बनमूलि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार मौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्रम सं०	कार्यालय/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			10152.38	2182.40	12334.78
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा	30	3.046	0.655	3.701
2	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	30	3.046	0.655	3.701
3	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा	30	3.046	0.655	3.701
4	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका	15	1.523	0.327	1.850
5	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका	35	3.553	0.763	4.316
6	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर, जमशेदपुर	12	1.218	0.262	1.480
योग :-		152	15.432	3.317	18.749

अपर प्रधान मंड्य बन सरकार/विकास

द्वारकाण्ड, राँची।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर प्रति हेठा

योजना का नाम— भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना गैर-वन मूमि अंतर्गत वृक्षारोपण पौधों की संख्या प्रति हेठा : 1666
पौधों की दूरी : (3 मीटर x 2 मीटर)

मजदूरी दर 229.90 प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० मे)	सामग्री (रु० मे)	कुल व्यय (रु० मे)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) वित्तीय वर्ष 2017-18 में सम्पादित कार्य (तृतीय वर्ष)							
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	हेठा	23.00	5287.70	0.00	5287.70	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रक्षायन आदि)		0.00	0.00	1892.40	1892.40	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हेठा तक)	हेठा	12.16	2795.58	0.00	2795.58	
	पौधों की सुरक्षा (30 हेठा से अधिक)						
4	गढ़दा धेरान की मरम्मत	हेठा	6.00	1379.40	0.00	1379.40	
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हेठा	3.00	689.70	290.00	979.70	
योग :-			44.16	10152.38	2182.40	12334.78	

अपर प्रधान मुख्य कल सचिव, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटित राशि की विवरणी :-

मॉग सं० - 19 वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

मुख्य शीर्ष-2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी & 01 - वानिकी & 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना & 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	19S240601796580103	19S240601796580323	Total
1	2	3	4	5	मंजदूरी	आपूर्ति एवं समझौते	
					6	7	8
1	Simdega	SDGAIF002	Sri Niranjan Prasad Deo	Div. F.O Soc. Forestry Simdega	3,04,600.00 (28294)	65,500.00 (28309)	3,70,100.00
2	Latehar	LTRFOR004	Arvind Kumar Gupta	D.F.O. Sfd Latehar	3,04,600.00 (28296)	65,500.00 (28311)	3,70,100.00
3	Singhbhum West	SGHFOR001	Sri. Laxmi Nath Baralik	D.F.O.Social Forestry Div.Cbsa	3,04,600.00 (28300)	65,500.00 (28312)	3,70,100.00
4	Dumka	DMKFOR003	Nand Kishor Sharma (S.F.S)	D.F.O.S.F.Divdumka	5,07,600.00 (28304)	1,09,000.00 (28314)	6,16,600.00
5	Jamshedpur	JSRFOR116	Shashi Kumar	D.F.O. S.F.Div.Adityapur Dsr.	1,21,800.00 (28306)	26,200.00 (28315)	1,48,000.00

कुल आवंटित राशि :- 18,74,900.00 (vBkjg yk[k pkSgRrj gfkj uks lkS) रूपये मात्र |

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

(SHRI SATNAM SINGH BADHAWAN,IFS)
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI



आवंटन आदेश

आवंटन संकाल

आवंटन वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु सिम्डाकिल दराएं गए बजट शीर्ष के साथ से अंकित रहके आवंटन की जाती है।

पत्र संख्या - 01/yb-49c/15/594

दिनांक - 08-May-2

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	लिकारी एवं उद्देश्य पदा.	आवंटन राशि
1	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी नथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिकृतिक बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं खरों 03 - मजदूरी	28294	SDGAIFF002 SRI NIRANJAN PRASAD DEO DIV. F O SOC FORESTRY SIMDEGA	304,600.00
2	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी नथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिकृतिक बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं खरों 03 - मजदूरी	28296	LTRFOR004 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. SFD LATEHAR	304,600.00
3	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी नथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिकृतिक बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं खरों 03 - मजदूरी	28300	SGHFOR001 SRI. LAXMI NATH BARAIK D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	304,600.00
State Scheme : Central Scheme :				
योग. क्रमिक योग: राप्ये नी लाय तेरछ छनार आठ सा				
913,800.00				

(SHRI RATNAM SINGH)

पत्र संख्या -

01/yb-49c/16/594

दिनांक -

08-May-2

क्रमांक	विषय कोड	एकलेज नं	निकासी एवं लब्धान पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601796580103 2406 - बानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - बेतन एवं खसे 03 - मजदूरी	28304	DMKFOR003 NAND KISHOR SHARMA (S.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	507,600.00 रुपये पाँच लाख सात हजार ६००. सौ
5	S 19 240601796580103 2406 - बानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - बेतन एवं खसे 03 - मजदूरी	28306	JSRFOR116 SHASHI KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR.	121,800.00 रुपये एक लाख इक्सीस चाहा ३०५. रुपये
6	S 19 240601796580323 2406 - बानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक आय 23 - आपूर्ति एवं भागी	28309	SDGAIFF002 SRI NIRANJAN PRASAD DEO DIV. F.O SOC. FORESTRY SIMDEGA,	65,500.00 रुपये पैसठ हजार पाँच सौ
योग:				
क्रमिक योग:				
रुपये सोनाह शाख अट हजार सात रुपये				
1,608,700.00				
694,900.00				

(अधिकारी का नाम और पद)

प्रशंसक -

01/YB-49C/15/594

दिनांक -

08-May-20

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं.	निकासी एवं अवधारणा	आवंटित राशि
7	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी वन्य वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपर्योगना 58 - अधिसूचित वन्य भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-अवधारणा 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं नामांकन	28311	LTRFOR004 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. SFD LATEHAR	65,500.00 रुपये प्रति डिग्री छाती वाली

State Scheme:

Central Scheme:

8	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी वन्य वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपर्योगना 58 - अधिसूचित वन्य भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-अवधारणा 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं नामांकन	28312	SGHFOR001 SRI. LAXMI NATH BARAIK D.F.O. SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	65,500.00 रुपये प्रति डिग्री छाती वाली
---	---	-------	--	---

State Scheme:

Central Scheme:

9	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी वन्य वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपर्योगना 58 - अधिसूचित वन्य भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-अवधारणा 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं नामांकन	28314	DMKFOR003 NAND KISHOR SHARMA (S.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	109,000.00 रुपये एक लाख नौ हजार
---	---	-------	--	------------------------------------

State Scheme:

Central Scheme:

योग:

240,000.00

क्रमिक योग:

रुपये अलारह लाहू अडतालीस क्षात्र सात सौ

1,848,700.00

S. K. Singh
S. K. Singh

प्र प संख्या - 01/YB-49C/16/594

दिनांक -

08-May-2

क्रमांक	विषय कोड	एकाउट नं	निकासी एवं व्यवहन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी नथा कन्या शापी 01 - वानिकी 798 - जनजातीय भेत्र उपर्योगना 58 - अधिसूचित वन भूमि एवं वृक्षानुपालगा गढ़ भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यव 23 - शास्त्रीय एवं तामग्नी	28315	JSRFOR116 SHASHI KUMAR D.F.O. S.F DIV.ADITYAPUR JSR,	26,200.00 कर्पोरेट अक्षय कुमार द्वे श्री

State Scheme :

Central Scheme :



योग:

26,200.00

क्रमिक योग:

1,874,900.00

संघर्ष अदारह लाल चौहलार हजार नी श्री

(अभ्यास बहादुर)